

293



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निगा - 3425 - 2 16

निगरानी प्र0क0

/ जिला-सिवनी

गंगाप्रसाद पिता बसोड़ी उम्र लगभग 46 वर्ष जाति गौंड  
निवासी ग्राम खरिया थाना कान्हीवाड़ा  
तहसील व जिला सिवनी म0प्र0

----- आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा  
कलेक्टर, सिवनी म0प्र0

----- अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959  
न्यायालय कलेक्टर, जिला सिवनी के प्रकरण क्रमांक  
83/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 26-9-16 से  
व्यथित होकर ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, कलेक्टर, सिवनी के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया था कि आवेदक आमगांव प.ह.नं. 55 रा.नि.मं. बरघाट तहसील व जिला सिवनी स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 140 रकबा 1.63 हैक्टर का भूमिस्वामी है । आवेदक को बंक का ऋण

1-10-16

1-10-16

127  
01.10.16

1-10-16  
A. K. Hegde  
A. 2

2/2




XXXIX(a)BR(H)-11


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 3425-एक / 16

जिला - सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-10-16	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 83/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 26-9-16 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि यह प्रकरण आवेदक गंगाप्रसाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम आमगांव प.ह.नं. 55 रा.नि.मं. बरघाट तहसील व जिला सिवनी स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 140 रकबा 1.63 हैक्टर भूमि को गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा इस आधार पर निरस्त किया है कि आवेदक ने बैंक ऋण के नोटिस की प्रति तथा भूमि किस व्यक्ति को विक्रय की जा रही है उसके संबंध में इकरारनामा आदि तथा आवेदक के परिवार के सदस्यों की सहमति पेश नहीं की है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि आवेदक द्वारा जिस भूमि के विक्रय की अनुमति चाही जा रही है वह आवेदक द्वारा स्वयं क्रय की गई है । साथ ही आवेदक के पारिवारिक सदस्य द्वारा भूमि विक्रय अनुमति में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है । इसलिए</p>	







R 3425. 5/16

गंगाप्रसाद विरुद्ध म0प्र0 ३

XXXIX

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों 3 हस्ताक्षर
	<p>परिवार के सदस्यों की सहमति का प्रश्न नहीं है । जहां तक गैर आदिवासी व्यक्ति से इकरारनामा का प्रश्न है, आवेदक की बात कई व्यक्तियों से चल रही है और जो व्यक्ति उसे वर्तमान गाइड लाइन या उससे अधिक राशि देगा आवेदक उसे ही भूमि विक्रय करेगा । बैंक का कर्जा होने संबंधी प्रश्न है, बैंक द्वारा आवेदक को मांग पत्र नहीं दिया गया इस कारण उसने उसे पेश नहीं किया है । उक्त आधार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उक्त तथ्यों को जिलाध्यक्ष ने अनदेखा किया गया है, इस कारण उनके आदेश निरस्त कर आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है ।</p> <p>3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा शासकीय अधिवक्ता के तर्कों एवं कलेक्टर के आलोच्य आदेश तथा आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक की स्वअर्जित भूमि है जो उसके द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से कय की गई है । उक्त भूमि शामलाती खाते की न होकर आवेदक के एकल स्वामित्व की भूमि है और विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित है, ऐसी स्थिति में आवेदक को उक्त भूमि को विक्रय/अंतरित करने का पूर्ण अधिकार है । ऐसी स्थिति में जिलाध्यक्ष द्वारा आवेदक के आवेदन को निरस्त करने के संबंध में लिया गया यह आधार कि आवेदक द्वारा पारिवार के सदस्यों का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, वैधानिक दृष्टि से उचित</p>	<p>प्रक</p>

R

AM



गंगाप्रसाद विरुद्ध म0प्र0  
पक्षकारों एवं  
अभिभाषकों उ  
स्ताक्षर

-4-

गंगाप्रसाद विरुद्ध म0प्र0 शासन

XXXIX(a)BR(H)-11


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 3425-एक/16

जिला - सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>नहीं है । आवेदक द्वारा अपने आवेदन में यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदक की बात कई व्यक्तियों से चल रही है और जो व्यक्ति उसे वर्तमान गाइड लाइन या उससे अधिक राशि देगा आवेदक उसे ही भूमि विक्रय करेगा । जहां तक बैंक का कर्जा होने संबंधी मांग पत्र प्रस्तुत न करने का प्रश्न है उसके संबंध में उसे दस्तावेज पेश करने हेतु समय दिए बिना यह मानना कि उसने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, न्यायोचित नहीं है । चूंकि विक्रय की जा रही भूमि आवेदक द्वारा कय की गई है और संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । आवेदक द्वारा बताया गया प्रयोजन सद्भावना पर आधारित है जिसके कारण विक्रय की अनुमति दिए जाने में वैधानिक अड़चन नहीं है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात इस प्रकरण में कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । परिणामतः उसे निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को उसके स्वामित्व की ग्राम आमगांव प.ह.नं. 55 रा.नि.मं. बरघाट तहसील व जिला सिवनी स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 140 रकबा 1.63 हैक्टर भूमि को गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है -</p> <p>1- प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि मूल्य देने को तैयार हो ।</p>	








-5-

R. 3425. 8/16

गंगाप्रसाद विरुद्ध म0प्र0 श1/16


स्थान तथा ति

271

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आ हस्ताक्षर
	<p>2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।</p> <p>3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा ।</p> <p>4- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।</p> <p style="text-align: center;"> (एमकेके सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर</p>	

R. 3425



स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
27/10/16	<p>आवेदक अधि. श्री प्रशांत कुमार साहू उप: उन्हेोंने संविता की धारा-32 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि इस न्यायालय द्वारा इस निगराकी प्र. क्र. 3425-I/16 में दिनांक 4/10/16 के पारित अंतिम आदेश के पृष्ठ-4 की 13वीं लाइन में <u>सिवनी</u> के स्थान पर <u>जयलपुर</u> संकण की त्रुटि से टाइप हो गया है, जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। आवेदक अधि. द्वारा धारा 32 अंत त्रुटि अमिलान पर आधारित है। अतः न्यायाधीन में यह निर्देश दिए जाते हैं कि इस प्रकीण में इस न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 4/10/16 के पृष्ठ-4 की 13वीं लाइन में <u>जयलपुर</u> के स्थान पर <u>सिवनी</u> पढ़ा जाये। यह आदेश मूल आदेश का अंग रहेगा।</p>	<p style="text-align: right;"><i>Prasanna</i> 27-10-2016</p> <p style="text-align: center;"> सदस्य</p>

*R/S*